

डाक व्यवस्था पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत
अनुमति पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
वि.पू.मु.-04 भोपाल-03-05



पत्र क्र. 108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

भोपाल, सोमवार दिनांक 6 जून 2005—चैत्र 16, शक 1927

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2005

क्र. 3848-एफ.आर.एस.-4-तैरह-2001.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 172 (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को मध्यप्रदेश में विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) अनुज्ञतिधारक के रूप में कार्य जारी रखने के लिए, केन्द्र शासन, विद्युत मंत्रालय के पत्र क्रमांक 25/21-2004-आर. एंड. आर., दिनांक 1 जून, 2005 द्वारा प्रदत्त को सभी सहमति अनुसार 9 जून, 2005 से आगे 9 दिसंबर, 2005 तक की अवधि के लिए अधिकृत करती है।

No. 3848-F. RS-4-XIII-2001.—In exercise of the powers conferred by Section 172 (a) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government hereby authorizes Madhya Pradesh State Electricity Board to continue to function as a Trading licensee in Madhya Pradesh for a further period up to 9th December 2005 beyond 9th June 2005, as agreed by the Central Government, vide Ministry of Power letter No. 25/21 2004 R&R, dated 1st June 2005.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. यी. एस. परिहार, सांचव